

B-12-15

राज्य की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 26 की उपधारा 2(11) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 26 की उपधारा 2(11) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अभियुक्त को तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 4-2-16 को पेश हो।

4.02.16

बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभियापक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी ..... है। पत्रावली दिनांक 17.03.16 को पेश हो।

17-3-16



राज्य के सरकार के अभियुक्त उपर। अभियुक्त ने निवेदन किया कि केस का फेसवा कर दिया जावे। सुन्य गया। फेसवा प्रश्न से लिखाया जाकर आसिय सिम्पुल किया गया। मुताबिक निर्णय अभियुक्त को पांच हजार रूप के शर्त दण्ड से कण्डित किया जाता है। अभियुक्त ने अरिष्ट चालान जुमानिय राशि जमा कराई। पत्रावली फेसवा सुनार की जाकर बाह तकसीय दाखिल इफ्तु हो। आद्वेअ सुकले न्यायालय में सुनयाया गया।

L.T.

मालकी न सिंठ

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर (राजस्थान)